

आदेश

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या-817/XVIII-(2)/16-4 (14)/2015, दिनांक 07 अप्रैल 2016 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति पर प्रभावितों को अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान इत्यादि मदों के अन्तर्गत तत्काल राहत सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद अल्मोड़ा धनावंटन प्राप्त हुआ है। शासनादेशानुसार आवंटित धनराशि में से रू० 100.00 लाख (एक करोड़) मात्र को निम्न प्रतिबन्धों के अधीन जनपद के समस्त तहसीलदारों के निवर्तन में रखते हुये व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	तहसील का नाम	स्वीकृत धनराशि
1-	अल्मोड़ा	रू० 20,00,000-00
2-	रानीखेत	रू० 10,00,000-00
3-	सल्ट	रू० 10,00,000-00
4-	भनोली	रू० 10,00,000-00
5-	जैती	रू० 10,00,000-00
6-	सोमेश्वर	रू० 10,00,000-00
7-	भिकियासैण	रू० 5,00,000-00
8-	द्वाराहाट	रू० 5,00,000-00
9-	चौखुटिया	रू० 5,00,000-00
10-	स्याल्दे	रू० 5,00,000-00
11-	लमगड़ा	रू० 5,00,000-00
12-	मछोड़	रू० 5,00,000-00
	योग-	रू० 1,00,00,000-00 (एक करोड़) मात्र

- 1- स्वीकृत धनराशि अहेतुक सहायता, गृह अनुदान एवं अनुग्रह अनुदान मदों में ही नियमानुसार व्यय की जायेगी एवं अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- 2- स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत गई है। धनराशि का गलत उपयोग होने पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी व तहसीलदार का पूर्ण रूप से उत्तरदायित्व होगा।
- 3- स्वीकृत धनराशि का वितरण तत्परता पूर्वक कराया जायेगा, जिससे प्रभावितों को शीघ्रातिशीघ्र राहत राशि का वितरण सुनिश्चित हो सके।
- 4- प्रभावितों की सम्यक पहचान (Identity) एवं पुष्टि के बाद ही स्वीकृत राहत सहायता का वितरण किया जायेगा। राहत सहायता के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता एवं दोहराव (Duplycacy) की स्थिति पाये जाने पर सम्बन्धित उप जिलाधिकारी व तहसीलदार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 5- उपरोक्त के सम्बन्ध में राहत राशि के वितरण हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईड लाईन्स दिनांक 08 अप्रैल 2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, जिसकी प्रति आपको पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है।

- 6- स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2017 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दी जाए।
- 7- व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, मितव्ययता के विषय में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।
- 8- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के लेखानुदान (1 अप्रैल से 31 जुलाई 2016 तक) के अनुदान संख्या-6 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-05 राज्य आपदा मोचन निधि (90% केन्द्र पोषित)-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-00-13-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय मद के नामें डाला जायेगा।

दिनांक- अप्रैल 2016

(सविन बंसल)

जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

कार्यालय जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।

संख्या- ५११५ /तेरह- II /2015-16, दिनांक- २१अप्रैल 2016

प्रतिलिपि निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल।
- 3- महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
- 5- समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद अल्मोड़ा।
- 6- समस्त तहसीलदार, जनपद अल्मोड़ा/नायब तहसीलदार, लमगड़ा, मछोड़।
- 7- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोड़ा।
- 8- जिला सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा।
- 9- जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी, अल्मोड़ा।
- 10- कार्यालय प्रति।

(सविन बंसल)

जिला अधिकारी, अल्मोड़ा।